डाक-व्यय की पूर्व-प्रदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. एम. पी. सी. 49.

पंजी क्रमांक एम. पी.—533

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 फरवरी 1973—माघ 12, शके 1894.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक १ फरवरी १९७३.

क्र. ३६५८-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक २६ जनवरी १९७३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चा. रा. दुबे, सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् १९७३

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन तथा भत्ता अधिनियम, १९७२

विषय-सूची

धाराएं

१. संक्षिप्त नाम.

२. परिभाषाएं.

३. सदस्यों का वेतन.

४. सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र-भत्ता.

५. राज्य परिवहन द्वारा निःशुल्क अभिवहन.

६. यात्रा तथा दैनिक भत्ता.

७. सदस्यों के लिये चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार आदि.

८. विरोधी दल के नेता के लिये निवास-स्थान, टेलीफोन तथा कर्मचारीवृन्द की व्यवस्था.

९. नियम बनाने की शक्ति.

१०. निरसन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् १९७३.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन तथा भत्ता अधिनियम, १९७२

[दिनांक २९ जनवरी १९७३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक १ फरवरी १९७३ को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

राज्य विधान सभा के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों के लिये उपबन्ध करने के हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. यह अधिनियम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन तथा भत्ता अधिनियम, १९७२ कहा जा सकेगा. संक्षिप्त नाम.

२. इस अधिनियम में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं.

(क) "समिति" से अभिप्रेत है विधान सभा की कोई प्रवर समिति या विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के अधीन गठित कोई समिति या अध्यक्ष या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई कोई समिति और उसके (समिति के) अन्तर्गत कानूनी बोर्ड, तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये बोर्ड आते हैं;

(ख) "सदस्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा का कोई सदस्य, किन्तु उसके अन्तर्गत—

(एक) मंत्री;

(दो) राज्य मंत्री;

(तीन) उप मंत्री;

(चार) संसदीय सचिव; और

(पांच) मध्यप्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नहीं आते हैं;

(ग) "सत्र" से अभिप्रेत है वह संपूर्ण कालावधि जिसका आरम्भ विधान सभा की बैठकों के प्रारम्भ होने के दिन से तीन दिन पूर्व होता हो और जिसका अन्त विधान सभा की बैठकों के अनिश्चित काल के लिये स्थगन द्वारा या सत्रावसान द्वारा, जैसी भी कि दशा हो, समाप्त होने के दिन से ठीक तीन दिन पश्चात् होता हो.

[illegible] प्रत्येक सदस्य को चार सौ रुपये प्रतिमास वेतन दिया जायगा. सदस्यों का वेतन.

[illegible] प्रत्येक सदस्य को दो सौ रुपये प्रतिमास निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया [illegible] सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता.

राज्य परिवहन द्वारा निःशुल्क अभिवहन.

५. प्रत्येक सदस्य को उच्चतम श्रेणी का एक निःशुल्क अनन्तरणीय पास दिया जायगा जिससे वह राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा चलाई गई किसी मोटर बस द्वारा राज्य के भीतर किसी भी ऐसे मार्ग पर जिस पर कि ऐसा परिवहन उपक्रम कार्यशील हो, यात्रा करने का हकदार हो जायगा, किन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन किसी सदस्य को देय किसी यात्रा भत्ते के भुगतान को प्रभावित नहीं करेगी.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिये "राज्य परिवहन उपक्रम" से अभिप्रेत है तथा उसके अन्तर्गत आते हैं मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा राज्य सरकार के स्वामित्व का कोई भी अन्य परिवहन उपक्रम.

यात्रा तथा दैनिक भत्ता.

६. प्रत्येक सदस्य, जबकि वह सरकारी कार्य से यात्रा करता हो, ऐसी दरों से तथा ऐसी शर्तों पर, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा अवधारित की जायं, यात्रा तथा दैनिक भत्ते पाने का हकदार होगा.

सदस्यों के लिये चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार आदि.

७. (१) राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक सदस्य व्यक्तिक तौर पर, राज्य सरकार द्वारा चलाये गये चिकित्सालयों में ऐसा स्थान निःशुल्क प्राप्त करने का तथा ऐसे चिकित्सालयों में उपलब्ध ऐसा चिकित्सीय उपचार निःशुल्क प्राप्त करने का भी हकदार होगा जैसा कि राज्य सरकार के नियम-निर्माण-नियंत्रण के अधीन किसी ऐसे शासकीय सेवक को स्वयं के लिये, जो कि प्रतिमास २२५ रुपये या अधिक वेतन प्राप्त करता हो, स्वीकार्य होता है.

(२) जब तक कि उपधारा (१) के अधीन नियम न बना दिये जायं, तब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गये चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार सम्बन्धी नियम, इस उपान्तरण के अध्यधीन रहते हुए कि प्रतिपूर्ति के किसी भी दावे के प्रयोजन के लिये नियंत्रक प्राधिकारी मध्यप्रदेश विधान सभा का सचिव होगा, सदस्य को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे पूर्वोक्त शासकीय सेवक को उसके स्वयं के लिये लागू होते हैं.

विरोधी दल के नेता के लिये निवास-स्थान, टेलीफोन तथा कर्मचारीवृन्द की व्यवस्था.

८. (१) वह सदस्य, जो विरोधी दल का नेता हो, ऐसे सदस्य के रूप में वह धारा ३, ४, ५, ६ तथा ७ के अधीन जो कुछ भी पाने का हकदार है उसके साथ-साथ वह इस बात का हकदार होगा कि—

(क) वह भोपाल में, उस कालावधि तक जिसमें कि वह विरोधी दल का नेता रहे और उसके अव्यवहित पश्चात् एक मास की कालावधि तक, किराये का भुगतान किये बिना, सुसज्जित निवास-स्थान का उपयोग करे और ऐसे निवास-स्थान के अनुरक्षण की बाबत विरोधी दल के नेता को कोई प्रभार नहीं देना पड़ेगा;

(ख) खण्ड (क) के अधीन उसे दिये गये निवास स्थान पर टेलीफोन की व्यवस्था सरकारी खर्चे से की जाय :

परन्तु ट्रंक-काल के लिये प्रभार विरोधी दल के नेता द्वारा वहन किये जायंगे;

(ग) उसे सरकारी खर्चे पर एक मुद्रलेखक (टाइपिस्ट) तथा एक चपरासी की सेवाएं उपलब्ध रहें.

(२) उपधारा (१) के अधीन दिये गये निवास-स्थान को सुसज्जित करने के बारे में किया जाने वाला व्यय और ऐसे निवास-स्थान के समारक्षण, वार्षिक मरम्मतों तथा अनुरक्षण के बारे में किया जाने वाला वार्षिक व्यय उसी आर्थिक सीमा के अध्यधीन होगा जो कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २५ सन् १९७२) की धारा ५ तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा उस निवास-स्थान के बारे में, जो कि उक्त अधिनियम के अधीन किसी मंत्री को दिया गया हो, नियत की गई है.

(३) वह तारीख, जिसको कि कोई सदस्य विरोधी दल का नेता हो जाय अथवा विरोधी दल का नेता न रह जाय, राजपत्र में प्रकाशित की जायगी और कोई भी ऐसी अधिसूचना इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस तारीख को इस धारा के प्रयोजनों के लिये विरोधी दल का नेता हुआ था अथवा इस धारा के प्रयोजनों के लिये विरोधी दल का नेता नहीं रह गया था.

(४) इस धारा के प्रयोजन के लिये—

(क) "विरोधी दल का नेता" से अभिप्रेत है वह सदस्य जो राज्य विधान सभा में, राज्य सरकार के विपक्ष में रहे उस दल का, जो कि उस सभा में सब से अधिक सदस्य संख्या वाला दल हो, तत्समय नेता हो, और यदि कोई सन्देह इस बारे में उत्पन्न हो कि ऐसे दल का उस सभा में नेता कौन है अथवा किसी सारवान् समय पर ऐसे दल का उस सभा में नेता कौन था, तो वह प्रश्न, इस धारा के प्रयोजनों के लिये, उक्त सभा के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायगा और उसका विनिश्चय, जो उसके हस्ताक्षर से लिखित में प्रमाणित किया गया हो, अन्तिम तथा निश्चायक होगा;

(ख) "निवास स्थान" में उससे अनुलग्न कर्मचारी-क्वार्टर तथा अन्य भवन एवं उसका उद्यान सम्मिलित है और निवास-स्थान से संबंधित "अनुरक्षण" में स्थानीय रेटों तथा करों का भुगतान और विद्युत् एवं जल की व्यवस्था सम्मिलित है.

नियम बनाने की शक्ति.

९. (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध हो सकेंगे :—

(क) किसी सदस्य को धारा ६ के अधीन देय यात्रा तथा दैनिक भत्त की दरें;

(ख) सदस्यों के लिये धारा ७ के अधीन चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार का विनियमन.

(३) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम मध्यप्रदेश विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे और विधान सभा, संकल्प द्वारा, उन नियमों को उपान्तरणों सहित या उपान्तरणों के बिना अनुमोदित कर सकेगी.

(४) नियम उस तारीख से प्रभावशील होंगे जिसको कि नियमों को अनुमोदित करने वाला संकल्प विधान सभा द्वारा पारित किया जाय.

निरसन.

१०. मध्यप्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली मेम्बर्स (सेलरीज एण्ड अलाउन्सेज) ... १९५६ (क्रमांक ४ सन् १९५७) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

[illegible]

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

[illegible] दुबे, सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 7 of 1973

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN TATHA BHATTA ADHINIYAM, 1972.

Table of Contents

Sections

1. Short title.
2. Definitions.
3. Salaries of members.
4. Constituency allowance to members.
5. Free transit by State Transport.
6. Travelling and daily allowance.
7. Medical attendance and treatment etc., to members.
8. Provision for residence, telephone and staff for Leader of opposition.
9. Power to make rules.
10. Repeal.

MADHYA PRADESH ACT

No. 7 of 1973.

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN TATHA BHATTA ADHINIYAM, 1972.

[Received the assent of the Governor on the 29th January, 1973 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary) dated the 1st February, 1973.]

An Act to provide for the salaries and allowances of members of the State Legislative Assembly.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan Tatha Bhatta Adhiniyam, 1972.

Definitions. 2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Committee" means a Select Committee of the Legislative Assembly or a Committee constituted under the rules of procedure of the Legislative Assembly or a Committee appointed by the Speaker or the State Government and includes the statutory Boards and the Boards appointed by the State Government ;

(b) "Member" means a member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly, but does not include—

(i) a Minister ;

(ii) a Minister of State ;

(iii) a Deputy Minister ;

(iv) a Parliamentary Secretary; and

(v) the Speaker and the Deputy Speaker of the Madhya Pradesh Legislative Assembly ;

(c) "Session" means the whole period beginning with three days preceding the day of commencement of the sittings of the Legislative Assembly and ending with three days immediately following the day of termination of the sittings of the Legislative Assembly, by adjournment sine die or Prorogation, as the case may be.

Salaries of members. [illegible] There shall be paid to every member a salary of [illegible] hundred rupees per mensem.

Constituency allowance to members. [illegible] There shall be paid to every member a constituency allowance of two hundred rupees per mensem.

Free transit by State Transport.

5. Every member shall be provided with one free non-transferable pass of the highest class which shall entitle him to travel by any motor bus run by a State transport undertaking on any route within the State on which such transport undertaking operates, but nothing contained in this section shall affect the payment of any travelling allowance payable to a member under any other provision of this Act.

Explanation.—For the purpose of this section "State transport undertaking" means and includes the Madhya Pradesh State Road Transport Corporation and any other transport undertaking owned by the State Government.

Travelling and daily allowance.

6. Every member shall be entitled, while travelling on public business, to travelling and daily allowances at such rates and upon such conditions as may be determined by rules made by the State Government.

Medical attendance and treatment etc; to members.

7. (1) Subject to any rules made in this behalf by the State Government, every member shall himself be entitled free of charge, to accommodation in hospitals maintained by the State Government and also to medical treatment available in such hospitals as admissible to a Government servant under the rule making control of the State Government drawing a pay of Rs. 225 per month or above personally for himself.

(2) Until rules are made under sub-section (1), rules relating to medical attendance and treatment made by the Governor under the proviso to article 309 of the Constitution of India shall apply to a member as they apply to aforesaid Government servant personally for himself, subject to modification that controlling authority for the purpose of any claim of reimbursement shall be Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha.

Provision for residence, telephone and staff for Leader of opposition.

8. (1) The member who is the Leader of opposition shall, in addition to whatever he is entitled to as such member under sections 3. 4, 5, 6 and 7, be entitled,—

(a) without payment of rent, to the use of a furnished residence at Bhopal for the period he is the Leader of opposition and for the period of one month immediately thereafter and no charge shall fall upon the Leader of the opposition in respect of the maintenance of such residence;

(b) at the cost of the Government, to the provision of a telephone at the residence provided to him under clause (a):

Provided that the charges for trunk-calls shall be borne by the Leader of opposition;

(c) at the cost of the Government, to service of a typist and a peon.

(2) The expenditure to be incurred in respect of furnishing of the residence provided under sub-section (1) and the annual expenditure to be incurred in respect of upkeep, annual repairs and maintenance of such residence shall be subject to the same monetary limits as one fixed by section 5 of the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972) and the rules made thereunder in respect of a residence provided to a Minister under the said Adhiniyam.

(3) The date on which a member becomes or ceased to be the Leader of the Opposition shall be published in the Gazette and any such notification shall be conclusive evidence of the fact that he became or ceased to be the Leader of Opposition on that date for the purposes of this section.

(4) For the purpose of this section—

(a) "Leader of opposition" means that member who is for the time being the leader in the State Legislative Assembly of the party in opposition to the State Government having the greatest numerical strength in that Assembly and if any doubt arises as to which is or was at any material time the leader in that Assembly of such a party, the question, shall be decided, for the purposes of this section, by the Speaker of the said Assembly and his decision, certified in writing under his hand, shall be final and conclusive;

(b) "residence" includes the staff quarters and other buildings appurtenant thereto and the garden thereof and "maintenance" in relation to the residence includes the payment of local rates and taxes and provision of electricity and water.

Power to make rules.

9. (1) The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—

(a) rates of travelling and daily allowance payable to a member under section 6;

(b) regulation of medical attendance and treatment to members under section 7.

(3) All rules made under this section shall be laid on the Table of the Madhya Pradesh Legislative Assembly and the Legislative Assembly may, by resolution, approve the rules with or without modifications.

(4) The rules shall take effect from the date on which the resolution approving the rules is passed by the Legislative Assembly.

Repeal. 10. The Madhya Pradesh Legislative Assembly members (Salaries and Allowances) Act, 1956 (IV of 1957) is hereby repealed.

भोपाल, दिनांक १ फरवरी १९७३.

क्र. ३६६३-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक २९ जनवरी १९७३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बा. रा. दुबे, सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 जनवरी 2002—पौष 27, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक डी/455/21-अ/प्रारूपण/छ. ग./02.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001 जिसे दिनांक 8-1-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 24 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001

(छत्तीसगढ़) विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायेगा) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001 कहलाएगा.

विस्तार तथा प्रारंभ. 2. यह अधिनियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होगा और छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

धारा 6-क का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (1) में शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर, शब्द "तीन हजार पांच सौ" स्थापित किए जाएं.

धारा 6-क का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 6-क के परन्तुक में शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "दो सौ रुपये" स्थापित किया जाय.

धारा 6-ग का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 6-ग में शब्द "और एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास चिकित्सा भत्ता भी दिया जाएगा" अंत में जोड़े जाएं.

धारा 7 (1-क) का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 7 (1-क) के द्वितीय स्पष्टीकरण के पश्चात् "स्पष्टीकरण-3 इस धारा के प्रयोजन के लिए सदस्य के अंतर्गत उस पर आश्रित पति/पत्नी, माता, पिता, पुत्र, पुत्री (जो विवाहित नहीं) आवेंगे" स्थापित किया जावे.

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक डी/455/21-अ/प्रारूपण/छ. ग./02.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 24 of 2001)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (DWITIYA S ANSHODHAN) ADHINIYAM, 2001

A Adhiniyam further to amend the (Chhattisgarh) Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (hereinafter referred to as the Principal Act).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislative in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2001. **Short title.**

2. This amendment will apply to the whole of the State of Chhattisgarh and shall come into force from the date of its publication in the Gazette. **Scope and Commencement.**

3. In the Section 6-A of the Principal Act the words "one thousand five hundred Rupees" shall be substituted by "three thousand five hundred Rupees". **Amendment in Section 6-A.**

4. In the Section 6-A (1) of the Principal Act in proviso the words "one hundred rupees" shall be substituted by "two hundred rupees". **Amendment in Section 6-A.**

5. In the Section 6-C of the Principal Act the words "and there shall be paid a medical allowances of Rs. one thousand five hundred per mensem" added in the end of Section. **Amendment in Section 6-C.**

6. In the Section 7 (1-A) of the Principal Act, after explanation-II, Explanation-III shall be added "Explanation-III-for the purpose of this sub-section, the member shall include the dependent namely the spouse, mother, father, son, daughter (not married) of the member". **Amendment in Section 7 (1-A).**

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102] रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 अप्रैल 2002—वैशाख 4, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2002

क्रमांक 3104/21-अ/प्रारूपण/छ. ग./01.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 18-4-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

(5)

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 17 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2002

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 17 सन् 2002) कहलाएगा.

(2) यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 4 (ग) का संशोधन.

2. (एक) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 की धारा 4 (ग) में उल्लेखित शब्द "तीन सौ" के स्थान पर "दो सौ पचास" स्थापित किये जाएं.

(दो) धारा 4 (ग) के अन्त में शब्द "उन दिनों के लिए जिनमें सदस्य विधान सभा की बैठकों या समितियों की बैठकों में भाग लेते हैं वे प्रतिदिन रुपये 250 की दर से अतिरिक्त दैनिक भत्ते के लिए हकदार होंगे," जोड़े जाएं.

"यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा मंगलवार, दिनांक 26 मार्च, 2002 को पारित किया गया."

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2002

क्रमांक 3104/21-अ/प्रारूपण/छ. ग./01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 17 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 17 of 2002)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA (VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2002.

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (No. 17 of 2002). **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

2. (I) In Section 4 (c) of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) for the word "three hundred" the words "two hundred fifty" shall be substituted. **Amendment in Section 4 (c).**

(II) At the end of Section 4 (c) the words "Members shall further be entitled to daily allowance at the rate of Rs. 250 per day for the days they attend meetings of Vidhan Sabha or meeting of committees" shall be inserted.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी 2005— माघ 26, शक 1926

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 1288/21-अ/प्रारुपण/04. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11-02-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 27 सन् 2004)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन, संशोधन अधिनियम, 2004

विषय-सूची

धारायें -

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

2. धारा-4 का संशोधन

3. धारा-4 क का संशोधन

4. धारा-4 ख का संशोधन

5. धारा-4 ग का संशोधन

6. धारा-4 घ का अन्तःस्थापन

7. धारा-5 क का संशोधन

8. धारा-6 क का संशोधन

9. धारा-6 ख का संशोधन

10. धारा-7 1 का संशोधन

(6)

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 27 सन् 2004)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन, संशोधन अधिनियम, 2004

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक-7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन तथा भत्ता, संशोधन विधेयक, 2004 कहलायेगा.

(2) यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा.

धारा-4 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, (1972 जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा-4 में शब्द ''तीन हजार'' के स्थान पर शब्द ''पांच हजार''स्थापित किया जाये.

धारा-4 क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा-4 क में शब्द ''चार हजार'' के स्थान पर ''पांच हजार''स्थापित किया जाये.

धारा-4 ख का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा-4 ख में शब्द ''एक हजार'' के स्थान पर ''दो हजार''स्थापित किया जाये.

धारा-4 ग संशोधन.

5. धारा-4 ग की उपधारा (दो) के स्थान पर निम्नलिखित नई उपधारा स्थापित की जाये, अर्थात् -

''(दो) उन दिनों के लिए, जिनमें सदस्य विधान सभा की बैठकों या समितियों की बैठकों में भाग लेते हैं, वे राज्य की राजधानी तथा राज्य के बाहर ऐसी समिति की बैठक की तिथि के एक दिवस पूर्व, एवं बैठक के एक दिन बाद के लिए प्रतिदिन ''दो सौ पचास'' रुपये की दर से अतिरिक्त दैनिक भत्ते पाने के हकदार होंगे.''

नई धारा-4 घ की अन्तःस्थापन.

6. मूल अधिनियम की धारा-4 ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः स्थापित की जाये, अर्थात् :-

''4 घ प्रत्येक सदस्य को स्टेशनरी भत्ता रुपये ''चार हजार'' प्रतिमास दिया जायेगा.''

धारा-5 क का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा-5 क में,

(एक) उपधारा (1) में शब्द ''पचहत्तर हजार'' के स्थान पर शब्द ''एक लाख पच्चीस हजार'' स्थापित किये जाये, और

(दो) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाये, अर्थात् :-
''परन्तु, प्रत्येक सदस्य केवल पांच, आने-जाने के हवाई यात्रा एक और व्यक्ति के साथ यात्रा करने का हकदार होगा.''

(तीन) उपधारा (2) में, शब्द ''चालीस हजार'' के स्थान पर शब्द ''साठ हजार'' स्थापित किया जाये और उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक और जोड़ा जाये, अर्थात् :-

''परन्तु ऐसे व्यक्ति ''साठ हजार रुपये'' की सीमा में ही तीन, आने-जाने की हवाई यात्रा के भी हकदार होंगे. ''

धारा-6 क का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 6 क 1 में शब्द ''तीन हजार पांच सौ'' के स्थान पर शब्द ''दस हजार'' स्थापित किया जाये.

धारा-6 ख का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा-6 ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात् :-

''धारा 6 ख (कुटुम्ब पेंशन) किसी वर्तमान या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नि या उसके आश्रित यदि कोई हो, को ऐसे वर्तमान या भूतपूर्व सदस्य की मृत्यु के दिनांक से दस वर्ष की कालावधि के लिए पेंशन रुपये पांच हजार प्रतिमाह दी जायेगी.''

धारा-7 1 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा-7 1 में शब्द ''एक हजार पांच सौ'' के स्थान पर शब्द ''तीन हजार''स्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 1288/21-अ/प्रारुपण/04. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्र. 27 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM

(No. 27 of 2004)

CHHATTISGARH VIDHANSABHA SADASYA VETAN BHATTA TATHA PENSION SANSHODHAN ADHINIYAM, 2004

INDEX

SECTION :

1. Short Title and Commencement

2. Amendment of Section-4

3. Amendment of Section - 4 - A

4. Amendment of Section - 4 - B

5. Amendment of Section - 4 - C

6. In Sedition of New Section - 4 - D

7. Amendment of Section - 5 - A

8. Amendment of Section - 6 - A

9. Amendment of Section - 6 - B

10. Amendment of Section - 7 1

CHHATTISGARH ACT

(No. 27 of 2004)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA (VETAN, BHATTA TATHA PENSION), (SANSHODHAN) ACT, 2004

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension), Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Fifth year of the Republic of India as follows :-

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Ventan Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the gazette.

Amendment of Section 4.

2. In Section 4 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "Three Thousand" the words "Five Thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 4-A.

3. In Section 4-A of the Principal Act for the words " Four Thousand" the words "Five Thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 4-B.

4. In Section 4-B of the Principal Act for the words "One Thousand" the words "Two Thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 4-C.

5. For sub-section (ii) of Section 4-C the following sub-section shall be substituted, namely :-

"(ii) For those days in which a member attend the meetings of Vidhan Sabha/ Committees. In Capital or out of State for such meetings member entitle additional daily allowance at the rate of Rs. 250/- per day before a day and after a day of date of such meetings."

Insertion of new Section 4-D.

6. After Section 4-C of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely :-

"4-D. There shall be to every member stationery allowance of Four Thousand rupees per mensem."

Amendment of Section 5-A.

7. In Section 5-A of the Principal Act, -

(i) in sub-section (1) for the words "Seventy Five Thousand" the words "One Lac Twenty Five Thousand" shall be substituted.

(ii) for first proviso of the sub-section (1) the following proviso shall be substituted, namely :-

"Provided that every member shall entitle for both side Five Air Journies with one person accompanying him".

(iii) In sub-section (2), for the words "Forty Thousand" the words "Sixty Thousand" shall be substituted; and after sub-section (2) the following proviso shall be added, namely :-

"Provided that such person within limit "Sixty Thousand" shall eneitle for Three Air Journies".

8. In Section 6-A of the Principal Act, for the words "Three Thousand Five Hundred" the words " Ten Thousand" shall be substituted. **Amendment of Section 6-A.**

9. For Section 6-B the following Section shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 6-B.**

"6-B. There shall be paid a pension of rupees five thousand per mensem to the spouse if any or dependent of a member/ex-member for a period of ten years from the date of his death".

10. In Section 7-1 of the Principal Act for the words " one thousand five hundred" the words "three thousand" shall be substituted. **Amendment of Section 7-1.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित --2005.

"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 96] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 मई 2005—वैशाख 26, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 13 मई 2005

क्रमांक 4357/21-अ/प्रारुपण/04. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11-5-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमलासिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 5 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (एक) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ (विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहलायेगा.

(दो) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 4-क का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा 4 क-में शब्द "पांच हजार" के स्थान पर शब्द "एक हजार" स्थापित किया जाये.

धारा 4-ख का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 4-ख में शब्द "दो हजार" के स्थान पर शब्द "एक हजार" स्थापित किया जाये.

धारा 4-ग का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 4-ग की उपधारा (एक) एवं (दो) में शब्द "दो सौ पचास" के स्थान पर शब्द "पांच सौ पंचानबे" स्थापित किया जाये.

धारा 4-घ का लोप. 5. मूल अधिनियम की धारा 4-घ का लोप किया जाये.

धारा 7-1 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 7-1 में शब्द "तीन हजार" के स्थान पर शब्द "एक हजार छः सौ पचास" स्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 13 मई 2005

क्रमांक 4357/21-अ/प्रारुपण/04. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्र. 5 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमलासिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 5 of 2005)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA (VETAN, BHATTA TATHA PENSION), (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2005

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension), Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty Sixth Year of the Repubilc of India as follows :-

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh (Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension), (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

Amendment of Section 4-A.

2. In Section 4-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act) for the words "Five Thousand" the words "One Thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 4-B.

3. In Section 4-B of the Principal Act for the words "Two Thousand" the words "One Thousand" shall be substitued.

Amendment of Section 4-C.

4. In sub-section (i) and (ii) of Section 4 of the Principal Act for the words "Two Hundred Fifty" the words "Five Hundred Ninety Five" shall be substituted.

Omission of Section 4-D.

5. Section 4-D of the Principal Act, shall be "omitted".

Amendment of Section 7-1.

6. In Section 7-1 of the Principal Act, for the words "Three Thousand" the words "One Thousand Six Hundred Fifty" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-2005.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2006—पौष 30, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

क्रमांक 605/24/21-अ/प्रारुपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-1-2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 4 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5-क का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को धारा 5-क की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित की जाय, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक सदस्य भारत वर्ष के भीतर एक वित्तीय वर्ष में रुपये एक लाख पच्चीस हजार किराये की सीमा तक निःशुल्क रेल और हवाई यात्रा का हकदार होगा. ऐसे सदस्य को, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जाय, रेल यात्रा के लिए रेल्वे कूपन भी उपलब्ध कराये जाएंगे."

(दो) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"परन्तु प्रत्येक सदस्य अकेले या एक और व्यक्ति के साथ अधिकतम रुपये पच्चासी हजार किराए की सीमा तक हवाई यात्रा कर सकेगा. रेल एवं हवाई यात्रा पर व्यय एक वित्तीय वर्ष में रुपये एक लाख पच्चीस हजार से अधिक का नहीं होगा.

परन्तु यह और भी कि ऐसे सदस्य इस सुविधा के लिए दिनांक 15-2-2005 से हकदार होंगे."

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

क्रमांक 605/24/21-अ/प्रारुपण/06.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोभन) अधिनियम, 2005 (क्र. 4 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 4 of 2006)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA (VETAN, BHATTA TATHA PENSION) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2005

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Sixth year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 5-A.

2. For sub-section (1) of Section 5-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act) the following shall be substituted, namely :—

"(1) Every member shall be entitled to tour within India by rail and air, free of cost, within the fare limits of rupees One Lac Twenty five thousand in a financial year. Such member shall also be provided with railway coupons for railway journey which shall subject to such rules as may be made by the State Government in this behalf."

(2) For first proviso of sub-section (1), the following shall be substituted, namely :—

"Provided that every member may travel by air alone or with any person accompanying with the fare limits of Rupees Eighty Five Thousand. The expenditure on the journey performed by rail and air shall not exceed Rupees One lac Twenty Five Thouand in a financial year.

Provided further that such members shall be entitled for such facility from 15-2-2005."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114/-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 217] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अगस्त 2007—श्रावण 19, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2007

क्रमांक 2020/डी. 171/21-अ/प्रा./छ. ग./07.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 06-08-2007 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 8 सन् 2007)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2007

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5-क का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 5-क में,

उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाए :—

"(2) धारा 6 (क) के अधीन पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाएं, अकेले या एक अन्य व्यक्ति के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान यात्रा हेतु साठ हजार रुपये मूल्य के कूपन की पात्रता होगी, साथ ही ऐसे व्यक्ति ऐसे कूपन की "साठ हजार रुपये" की सीमा में ही हवाई यात्रा करने के भी हकदार होंगे."

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2007

क्रमांक 7028/डी. 171/21-अ/प्रा./छ. ग./07.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 8 सन् 2007) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 8 of 2007)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ACT, 2007

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-eighth year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 5-A.

2. In Section 5-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act) ,—

For sub-section (2), the following sub-section shall be substituted :—

"(2) Every person entitled for pension under section 6 (A), subject to such rules which may be mede by State Government shall be entitled to coupons of Rs. Sixty thousand value during one financial year for journey alone or with one person and that such persons shall also be entitled to journey by air within the limit of such coupons of "Rs. Sixty thousand"."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 130] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2008—वैशाख 19, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक 4846/135/21-अ/प्रा./छ. ग./08.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 01-05-2008 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 10 सन् 2008)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2008

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषा.

2. मूल अधिनियम से तात्पर्य है छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973).

धारा 5-क का संशोधन.

3. (1) मूल अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (1) में शब्द "रुपये एक लाख पच्चीस हजार" के स्थान पर शब्द "रुपये दो लाख" स्थापित किया जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाये, अर्थात् -

"परंतु प्रत्येक सदस्य अकेले या एक और व्यक्ति के साथ इस शर्त के अधीन यात्रा कर सकेगा, कि रेल एवं हवाई यात्राओं पर व्यय एक वित्तीय वर्ष में रुपये दो लाख से अधिक का नहीं होगा."

(3) मूल अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (2) में शब्द "रुपये साठ हजार" के स्थान पर शब्द "रुपये एक लाख" स्थापित किया जाए.

(4) मूल अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (2) में अंक, कोष्टक तथा अक्षर "6 (क)" के स्थान पर अंक तथा अक्षर "6-क" प्रतिस्थापित किया जाय.

धारा 6-क का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 6-क (1) के द्वितीय परन्तुक में शब्दों "या जहां कोई सदस्य उप निर्वाचन में " के पश्चात् शब्द "या लोकसभा/ राज्यसभा का सदस्य" अन्त:स्थापित किया जाय.

धारा 6-ग का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 6-ग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाय, अर्थात् :-

"6-ग. प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 6-क के अधीन पेंशन का हकदार है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के किसी दावे के लिये धारा 7(2) के समरूप हकदार होगा और उसे एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता भी दिया जायेगा."

धारा 7 (2) का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में शब्द "उसके स्वयं के लिये" को विलोपित किया जाए.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक 4846/135/21-अ/प्रा./छ. ग./08.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 10 सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 10 of 2008)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ACT, 2008

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-nineth year of the Republic of India as follows :-

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008.

(2) It shall come in to force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. Principal Act means the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Amendment of Section 5-A.

3. (1) In sub-section (1) of Section 5-A of the Principal Act for the words " Rs. One Lac Twenty Five Thousand" the words " Rs. Two Lac" shall be substituted.

(2) For first proviso of sub-section (1) of Section 5-A of the Principal Act, the following shall be substituted, namely -

"Provided that every member may travel alone or with one more person subject to the condition that expenditure on the journeys performed by rail and air shall not exceed Rupees Two Lac in a financial year."

(3) In sub-section (2) of Section 5-A of the Principal Act for the words "Rs. Sixty Thousand" the words "Rs. One Lac" shall be substituted.

(4) In sub-section (2) of Section 5-A of the Principal Act for the figure, bracket and letter "6 (A)", the figure and letter "6-A" shall be substituted.

Amendment of Section 6-A.

4. In the second proviso to Section 6-A (1) of the Principal Act, after the words " or where a member having been elected in a bye election" the words " or as a member of Lok Sabha/Rajya Sabha" shall be inserted.

(10)

Amendment of Section 6-C.

5. For Section 6-C of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"6-C Every person who is entitled to pension under section 6-A, shall be entitled for medical reimbursement similar to claim under sub-section (2) of Section 7 and shall also be paid medical allowance of One thousand five hundred rupees per month."

Amendment of Section 7 (2).

6. In sub-section (2) of Section 7 of the Principal Act, the words "for himself" shall be omitted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 अगस्त 2009—श्रावण 29, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2009

क्रमांक 5689/151/21-अ/प्रा./छ. ग./09.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-08-2009 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2009)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2009

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 4-क में संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 4-क में शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "एक हजार सात सौ पचास" प्रतिस्थापित किया जाए.

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2009

क्रमांक 5689/151/21-अ/प्रा./छ. ग./09.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 6 सन् 2009) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 6 of 2009)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ACT, 2009

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009. **Short title and Commencement.**

   (2) It shall come into force from the date of its publication in the "Official Gazette".

2. In Section 4-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) for the words "One Thousand" the words "One Thousand Sevan Hundred Fifty" shall be substituted. **Amendment of Section 4-A.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

12

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी-2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 मई 2010—वैशाख 15, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मई 2010

क्र. 5009/104/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26-04-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

(12)

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 4 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 में, शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्द "सात हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 4 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द "पांच हजार" के स्थान पर शब्द "आठ हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 4-ख का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 4-ख में, शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "पांच हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 4-ग का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 4-ग की उपधारा (एक) में, शब्द "पांच सौ पंचानबे" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 7 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में, शब्द "एक हजार छ: सौ पचास" के स्थान पर शब्द "दो हजार पांच सौ" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 3 मई 2010

क्र. 5009/104/21-अ/प्रा./छ. ग./10.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 4 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 4 of 2010)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ACT, 2010

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Section 3 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act) for the words "One Thousand Five Hundred" the words "Seven Thousand" shall be substituted. **Amendment of Section 3.**

3. In Section 4 of the Principal Act for the words "Five Thousand" the words "Eight Thousand" shall be substituted. **Amendment of Section 4.**

4. In Section 4-B of the Principal Act for the words "One Thousand" the words "Five Thousand" shall be substituted. **Amendment of Section 4-B.**

5. In sub-section (i) of Section 4-C of the Principal Act for the words "Five Hundred Ninety Five" the words "Seven Hundred Fifty" shall be substituted. **Amendment of Section 4-C.**

6. In sub-section (1) of Section 7 of the Principal Act for the words "One Thousand Six Hundred Fifty" the words "Two Thousand Five Hundred" shall be substituted. **Amendment of Section 7.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 मई 2010—वैशाख 17, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्र. 5080/107/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-04-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 7 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलायेगा.

   (2) यह 1 नवम्बर, 2000 से प्रवृत्त होगा.

धारा 6-क (1) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6-क (1) के द्वितीय परंतुक में शब्द "विधान सभा के विघटन के कारण" के पश्चात् शब्द "अथवा त्यागपत्र के कारण" अंत:स्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्र. 5080/107/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 7 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा शित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 7 of 2010)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ACT, 2010

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the 1st November, 2000.

2. In the second proviso to Section 6-A (1), of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), after the words "due to dissolution of Legislative Assembly or" the words "due to resignation or" shall be inserted. **Amendment of Section 6-A (1).**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी-2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

(15)

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2011—वैशाख 16, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2011

क्रमांक 3336/113/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 03-05-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 12 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 6-क का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 6-क की उपधारा (1) में शब्द "दस हजार" के स्थान पर शब्द "सोलह हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 6-ख का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 6-ख में शब्द "पांच हजार" के स्थान पर शब्द "आठ हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 6-ग का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 6-ग में शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्द "दो हजार पांच सौ" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 7 मई 2011

क्रमांक 3336/113/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 12 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

(15)

CHHATTISGARH ACT
(No. 12 of 2011)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In sub-section (1) of Section 6-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act) for the words "Ten Thousand" the words "Sixteen Thousand" shall be substituted. **Amendment of Section 6-A.**

3. In Section 6-B of the Principal Act, for the words "five thousand" the words "Eight Thousand" shall be substituted. **Amendment of Section 6-B.**

4. In Section 6-C of the Principal Act, for the words "One thousand five hundred" the words "Two Thousand Five Hundred" shall be substituted. **Amendment of Section 6-C.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

(15)

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7-अ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी 2012—पौष 23, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2012

क्रमांक 254/डी. 13/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 07-01-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 2 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 4-ग का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 4-ग की उप-धारा (दो) में, शब्द "पांच सौ पंचानबे" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2012

क्रमांक 254/डी. 13/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 2 of 2012)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In sub-section (ii) of Section 4-C of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), for the words "Five Hundred Ninety Five" the words "Seven Hundred Fifty" shall be substituted. **Amendment of Section 4-C.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

16

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206] रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 अगस्त 2012—श्रावण 10, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2012

क्रमांक 6423/डी. 170/21-अ/प्रारू./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-07-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 15 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2012

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5-क का संशोधन. 2. (1) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम" के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 5-क की उप-धारा (1) तथा उसके प्रथम परंतुक में, शब्द "रुपये दो लाख" के स्थान पर शब्द "रुपये तीन लाख" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा 5-क की उप-धारा (2) में, शब्द "रुपये एक लाख" के स्थान पर शब्द "रुपये एक लाख पचास हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 6-क का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 6-क की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में, शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए और शब्द "अतिरिक्त पेंशन दी जायेगी" के पश्चात् शब्द "और यह भी कि यदि किसी व्यक्ति ने दस वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये पूर्वोक्त रूप में कार्य किया हो, तो उसे दस वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए चार सौ रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन दी जायेगी और यदि किसी व्यक्ति ने पन्द्रह वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये पूर्वोक्त रूप में कार्य किया हो, तो उसे पन्द्रह वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए पांच सौ रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन दी जायेगी" जोड़ा जाये.

धारा 6-ख का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 6-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात् :—
"किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नि यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को, पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से प्रतिमाह दस हजार रुपये पेंशन दी जायेगी."

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2012

क्रमांक 6423/डी. 170/21-अ/प्रारू./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 15 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 15 of 2012)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha SAdasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. (1) In sub-section (1) and its first proviso of Section 5-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniya, 1972 (No. 7 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act) for the words "Rs. Two Lac" the words "Rs. Three Lac" shall be substituted. **Amendment of Section 5-A.**

(2) In sub-section (2) of Section 5-A of the Principal Act, for the words "Rs. One Lac" the words "Rs. One Lac Fifty Thousand" shall be substituted.

3. In the first proviso to sub-section (1) of Section 6-A of the Principal Act, for the words "two hundred rupees" the words "three hundred rupees" shall be substituted and after the words "in excess of five years" the words "and if any person has served as aforesaid for a period exceeding ten years there shall be paid to him an additional pension of four hundred rupees per mensem for every year in excess of ten years and if any person has served as aforesaid for a period of more than fifteen years there shall be paid to him an additional pension of five hundred rupees per mensem for every year in excess of fifteen years:" shall be added. **Amendment of Section 6-A.**

4. For Section 6-B of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely :— **Amendment of Section 6-B.**
"There shall be paid a pension of rupees ten thousand per mensem to the spouse, if any for life or to a dependent of a member or ex-member for a period of fifteen years from the date of his death."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 153] रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 अप्रैल 2013—चैत्र 25, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्रमांक 3025/डी. 109/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-04-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 11 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(घ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची."

धारा 3 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में शब्द "सात हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 4 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "आठ हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 4-क का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 4-क में शब्द "एक हजार सात सौ रुपये प्रतिमास दिये जायेंगे" के स्थान पर शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट राशि दी जायेगी" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 4-ख का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 4-ख में शब्द "पांच हजार रुपये प्रतिमाह की दर से" के स्थान पर "अनुसूची में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 4-ग का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 4-ग में जहां कहीं भी शब्द "सात सौ पचास रुपये की दर से" आया हो के स्थान पर शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 7 का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) में शब्द "दो हजार पांच सौ रुपये का" के स्थान पर शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

9. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ा जाये, अर्थात् :— अनुसूची का अन्तः स्थापन.

अनुसूची
[धारा 2(घ) देखें]

धारा (1)	वेतन/भत्तों का विवरण (2)	राशि (3)
धारा 3	सदस्यों का वेतन	रुपये 10,000 प्रतिमास
धारा 4	सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 25,000 प्रतिमास
धारा 4-क	टेलीफोन भत्ता	रुपये 3,000 प्रतिमास
धारा 4-ख	अर्दली भत्ता	रुपये 10,000 प्रतिमास
धारा 4-ग	दैनिक भत्ता	रुपये 750 प्रतिदिन
	विधान सभा की बैठकों या समिति की बैठकों में भाग लेने का अतिरिक्त दैनिक भत्ता.	रुपये 750 प्रतिदिन
धारा 7 (1)	सदस्यों को चिकित्सा भत्ता	रुपये 4,500 प्रतिमास

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्रमांक 3025/डी. 109/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 11 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 11 of 2013)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-Fourth Year of the Re-public of India, as follows :—

Short title and commencement. 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2. 2. After clause (c) of Section 2 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) (hereinafter referred to as the Princi-pal Act), the following shall be added, namely :—

"(d) "Schedule" means a Schedule appended to this Act."

Amendment of Section 3. 3. In Section 3 of the Principal Act, for the words "of Seven Thousand rupees per mensem" the words "as specified in the Schedule" shall be substituted.

Amendment of Section 4. 4. In Section 4 of the Principal Act, for the words "of Eight Thousand rupees per mensem" the words "as specified in the Schedule" shall be substituted.

Amendment of Section 4-A. 5. In Section 4-A of the Principal Act, for the words "One Thousand Seven Hundred Fifty per mensem" the words "of an amount as specified in the Schedule" shall be substituted.

Amendment of Section 4-B. 6. In Section 4-B of the Principal Act, for the words "Five Thousand rupees per mensem" the words "as specified in the Schedule" shall be substituted.

Amendment of Section 4-C. 7. In Section 4-C of the Principal Act, wherever occure the words "at the rate of rupees Seven Hundred Fifty per day" the words "as specified in the Schedule" shall be substi-tuted.

Amendment of Section 7. 8. In Sub-section (1) of Section 7 of the Principal Act, for the words "of Two Thousand Five Hundred per mensem" the words "as specified in the Schedule" shall be substituted.

Insertion of Schedule. 9. After Section 10 of the Principal Act, the following Schedule shall be added, namely :—

"SCHEDULE
[See Section 2(d)]

Section (1)	Pay/Allowance Particular (2)	Amount (3)
Section 3	Salaries of members	Rupees 10,000 per mensem
Section 4	Constituency allowance for members	Rupees 25,000 per mensem

(1)	(2)	(3)
Section 4-A	Telephone allowance	Rupees 3,000 per mensem
Section 4-B	Ardali allowace	Rupees 10,000 per mensem
Section 4-C	Daily Allowance	Rupees 750 per day
	Additional daily allowances for attending the meeting of Vidhan Sabha or meeting of Committees.	Rupees 750 per day
Section 7 (1)	Medical allowance to members	Rupees 4,500 per mensem"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 183] रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 मई 2013—वैशाख 16, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक 3685/डी. 120/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26-04-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 16 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन, अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 6-ग का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6-ग में शब्द "दो हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्द "दस हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक 3685/डी. 120/21-अ/प्रारू/छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 16 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
[illegible], अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 16 of 2013)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension, Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :---

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. In Section 6-C of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension, Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), for the words "Two Thousand Five Hundred" the words "Ten Thousand" shall be substituted. **Amendment of Section 6-C.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 175] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल, 2016 — वैशाख 9, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्रमांक 4228/डी. 144/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22-04-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छीता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 17 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5-क का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 5-क में, -

(एक) उप-धारा (1) में, जहां कहीं भी शब्द "रुपये तीन लाख" आये हों के स्थान पर, शब्द "अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(दो) उप-धारा (2) में, शब्द "एक लाख पचास हजार" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 6-क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6-क की उप-धारा (1) में शब्द "सोलह हजार रुपये प्रतिमास" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 6-ग का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 6-ग में, शब्द "दस हजार रुपये प्रतिमाह" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

अनुसूची का संशोधन.

5. विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"अनुसूची
[धारा 2(घ) देखिये]

स. क्र.	धारा	वेतन/भत्तों का विवरण	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धारा 3	सदस्यों का वेतन	रुपये 20,000 प्रतिमास
2.	धारा 4	सदस्यों के लिये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता.	रुपये 30,000 प्रतिमास
3.	धारा 4-क	टेलीफोन भत्ता	रुपये 5,000 प्रतिमास
4.	धारा 4-ख	अर्दली भत्ता	रुपये 15,000 प्रतिमास

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	धारा 4-ग	(एक) दैनिक भत्ता	(एक) रुपये 1,000 प्रतिदिन
		(दो) विधान सभा की बैठकों या समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु अतिरिक्त दैनिक भत्ता	(दो) रुपये 1,000 प्रतिदिन
6.	धारा 5-क (1)	सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा	रुपये 4,00,000 प्रतिवर्ष
7.	धारा 5-क (2)	भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा	रुपये 2,00,000 प्रतिवर्ष
8.	धारा 6-क (1)	पेंशन	रुपये 20,000 प्रतिमास
9.	धारा 6-ग	भूतपूर्व सदस्यों के लिये चिकित्सा भत्ता	रुपये 15,000 प्रतिमास
10.	धारा 7 (1)	सदस्यों के लिये चिकित्सा भत्ता	रुपये 10,000 प्रतिमास."

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्रमांक 4228/डी. 144/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-04-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 17 of 2016)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement. 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 5-A. 2. In Section 5-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act).-

(i) in sub-section (1), for the words "Rs. Three Lac", wherever they occur, the words "as specified in the Schedule" shall be substituted; and

(ii) in sub-section (2), for the words "Rs. One Lac Fifty Thousand", the words "as specified in the Schedule" shall be substituted.

Amendment of Section 6-A. 3. In sub-section (1) of Section 6-A of the Principal Act, for the words "Sixteen thousand rupees per mensem", the words "as specified in the Schedule" shall be substituted.

Amendment of Section 6-C. 4. In Section 6-C of the Principal Act, for the words "Ten thousand rupees per month", the words "as specified in the Schedule" shall be substituted.

Amendment of Schedule. 5. For the existing Schedule, the following shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE

[See Section 2 (d)]

S. No. (1)	Section (2)	Pay/Allowance Particular (3)	Amount (4)
1.	Section 3	Salaries of Member	Rupees 20,000 per mensem
2.	Section 4	Constituency allowance for member.	Rupees 30,000 per mensem
3.	Section 4-A	Telephone allowance	Rupees 5,000 per mensem
4.	Section 4-B	Ardali allowance	Rupees 15,000 per mensem

(1)	(2)	(3)	(4)
	Section 4-C	(i) Daily allowance	(i) Rupees 1,000 per day
		(ii) Additional daily allowance for attending the meeting of Vidhan Sabha or meeting of Committees.	(ii) Rupees 1,000 per day
6.	Section 5-A(1)	Rail and Air Travel for members	Rupees 4,00,000 per year
7.	Section 5-A(2)	Rail and Air Travel for ex-members	Rupees 2,00,000 per year
8.	Section 6-A(1)	Pension	Rupees 20,000 per mensem
9.	Section 6-C	Medical allowance for ex-members.	Rupees 15,000 per mensem
10.	Section 7(1)	Medical allowance to members	Rupees 10,000 per mensem."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 445] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2020 — आश्विन 6, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2020

क्रमांक 7291/डी. 148/21-अ/प्रारू./छ. ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21-09-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 15 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 6-ख का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 6-ख में, शब्द "प्रतिमाह दस हजार रुपये " के स्थान पर, शब्द "अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

अनुसूची का संशोधन.

3. मूल अधिनियम में, अनुसूची में, सरल क्रमांक 6, 7 एवं 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	धारा 5-क (1)	सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा बोर्डिंग सहित.	रुपये 8,00,000 प्रतिवर्ष
7.	धारा 5-क (2)	भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा बोर्डिंग सहित.	रुपये 4,00,000 प्रतिवर्ष
8.	धारा 6-क (1)	पेंशन	रुपये 35,000 प्रतिमास
8 क.	धारा 6-ख	किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नी, यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से पेंशन दी जायेगी.	रुपये 25,000 प्रतिमास"

अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2020

क्रमांक 7291/डी. 148/21-अ/प्रारू./छ. ग./20.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 24-9-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 15 of 2020)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2020

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called The Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 6-B.

2. In the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 6-B, for the words " rupees ten thousand per mensem ", the words " as specified in the Schedule " shall be substituted.

Amendment of Schedule.

3. In the Principal Act, in Schedule, for serial number 6, 7 and 8 and entries relating thereto, the following shall be substituted, respectively, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	Section 5-A (1)	Rail and Air Travel for Members with Boarding.	Rupees 8,00,000 per year
7.	Section 5-A (2)	Rail and Air Travel for ex-members with Boarding.	Rupees 4,00,000 per year
8.	Section 6-A (1)	Pension	Rupees 35,000 per mensem
8 A.	Section 6-B	There shall be paid a pension to the spouse, if any for life or to a dependent of a member or ex-member for a period of fifteen years from the date of death of the member.	Rupees 25,000 per mensem."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 570] रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 सितम्बर 2022 — भाद्रपद 21, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2022

क्रमांक 10027/डी. 94/21-अ/प्रारू./छ. ग./22. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23-08-2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 12 सन् 2022)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2022.

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) के अनुसूची के, सरल क्रमांक 1, 2, 3, 5 एवं 10 की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	धारा 3	सदस्यों का वेतन	रूपये 20,000 प्रतिमास
2.	धारा 4	सदस्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रूपये 55,000 प्रतिमास
3.	धारा 4-क	टेलीफोन भत्ता	रूपये 10,000 प्रतिमास
5.	धारा 4-ग	दैनिक भत्ता	रूपये 2,000 प्रतिदिन
10.	धारा 7(1)	सदस्यों के लिए चिकित्सा भत्ता	रूपये 15,000 प्रतिमास"

अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2022

क्रमांक 10027/डी. 94/21-अ/प्रारू./छ. ग./22. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिनियम दिनांक 12-09-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 12 of 2022)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2022.

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha sadasya vetan, bhatta tatha pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022.

(2) It shall Come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Schedule.

2. For the entries relating thereto of serial number 1, 2, 3, 5 and 10 of Schedule of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), the following entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“1.	Section 3	Salaries of Member	Rupees 20,000 per mensem
2.	Section 4	Constituency allowance for Members	Rupees 55,000 per mensem
3.	Section 4-A	Telephone allowance	Rupees 10,000 per mensem
5.	Section 4-C	Daily allowance	Rupees 2,000 per day
10.	Section 7(1)	Medical allowance for Members	Rupees 15,000 per mensem”

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 अप्रैल 2023 — वैशाख 4, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्र. 5131/डी. 52/21–अ/प्रारू./छ.ग./23. – छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाँक 13–04–2023 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 9 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2023.

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहलाएगा ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

धारा 4–क का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) की धारा 4–क में, शब्द "सदस्य" के पश्चात्, शब्द "तथा भूतपूर्व सदस्य" अंतःस्थापित किया जाये ।

धारा 4–ख का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 4–ख में, शब्द "सदस्य" के पश्चात्, शब्द "तथा भूतपूर्व सदस्य" अंतःस्थापित किया जाये ।

4. मूल अधिनियम की धारा 6–क की उप–धारा (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– धारा 6–क का संशोधन.

"परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने, 05 वर्ष से अधिक कालावधि के लिए पूर्वोक्त रुप से कार्य किया हो, वहां उसे 05 वर्ष से ऊपर प्रत्येक वर्ष के लिए रुपये 1,000/– प्रतिमास अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी ।"

5. मूल अधिनियम की अनुसूची के सरल कमांक 3, 4, 6, 7 तथा 8 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियॉ प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– अनुसूची का संशोधन.

(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	धारा 4–क	सदस्य एवं भूतपूर्व सदस्यों को टेलीफोन भत्ता	रुपये 10,000/– प्रतिमास
4.	धारा 4–ख	प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्यों को अर्दली भत्ता	रुपये 15,000/– प्रतिमास
6.	धारा 5–क(1)	सदस्यों के लिए रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित	रुपये 10,00,000/– प्रतिवर्ष
7.	धारा 5–क(2)	भूतपूर्व सदस्यों के लिए रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित	रुपये 5,00,000/– प्रतिवर्ष
8.	धारा 6–क(1)	पेंशन	रुपये 58,300 प्रतिमास"

अटल नगर, दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्र. 5131/डी. 52/21–अ/प्रारू./छ.ग./23. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 21–04–2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 9 of 2023)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM 2023.

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called The Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 4-A.

2. In Section 4-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), after the word "member", the words "and ex-member" shall be inserted.

Amendment of Section 4-B.

3. In Section 4-B of the Principal Act, after the word "member", the words "and ex-member" shall be inserted.

4. For the first proviso of sub-section (1) of Section 6-A of the Principal Act, the following proviso shall be substituted, namely:- **Amendment of Section 6-A.**

"Provided that where any person has served as aforesaid for a period exceeding 05 years, there shall be paid to him an additional pension of Rs. 1,000/- per mensum for every year in excess of 05 years."

5. For the entries relating to serial number 3, 4, 6, 7 and 8 of Schedule of the Principal Act, the following entries shall be substituted, namely:- **Amendment of Schedule.**

(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	Section 4-A	Telephone allowance for member and ex-members	Rupees 10,000/- per mensem
4.	Section 4-B	Ardali allowance for every member and ex-members	Rupees 15,000/- per mensem
6.	Section 5-A(1)	Rail and Air Journey for Members, with boarding	Rupees 10,00,000/- per year
7.	Section 5-A(2)	Rail and Air Journey for Ex-Members, with boarding	Rupees 5,00,000/- per year
8.	Section 6-A(1)	Pension	Rupees 58,300 per mensem"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2025 —— पौष 27, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जनवरी 2025

क्र. 622 / डी. 03 / 21–अ / प्रारू. / छ.ग. / 25. – छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 01–01–2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप–सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 2 सन् 2025)
छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2024

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को अग्रतर संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलाएगा ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की अनुसूची के सरल क्रमांक 5 के कॉलम (4) की प्रविष्टि (दो) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह ''रुपये 1,000 प्रतिदिन'' के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह ''रुपये 2,000 प्रतिदिन'' प्रतिस्थापित किया जाये ।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जनवरी 2025

क्र. 622 / डी. 03 / 21–अ / प्रारू. / छ.ग. / 25. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप–सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 2 of 2025)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2024.

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2024.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Schedule.

2. In entry (ii) of column (4) of serial number 5 of Schedule of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), for the words, figure and symbol "Rupees 1,000 per day", the words, figure and symbol "Rupees 2,000 per day" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.